न्यायालय संभागीय आयुक्त,जयपुर

अपील संख्याः 783/2012 (जीसीएमएस 2012/00097)

1. छज्जू आयु करीब 56 वर्ष पुत्र श्री रहमत जाति मेव,
2. निजर मौहम्मद आयु करीब 45 वर्ष पुत्रान श्री रहमत जाति मेव निवासीयान ग्राम शेखपुर जट्ट, तहसील तिजारा, जिला अलवर।

---अपीलांट्स

बनाम

1. नायब तहसीलदार तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।
2. भूपेन्द्रसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कर्मपुर, सब तहसील टपुकड़ा, तहसील तिजारा, जिला अलवर (मृतक)
   - 2/1. श्रीमती कृष्णा देवी बेवा भूपेन्द्रसिंह जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कर्मपुर, सब तहसील टपुकड़ा, तहसील तिजारा, जिला अलवर।
   - 2/2. रमाकान्त पुत्र भूपेन्द्रसिंह जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कर्मपुर, सब तहसील टपुकड़ा, तहसील तिजारा, जिला अलवर।
   - 2/3. रामबाबू पुत्र भूपेन्द्रसिंह जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कर्मपुर, सब तहसील टपुकड़ा, तहसील तिजारा, जिला अलवर।
3. ललित कुमार पुत्र मोहरसिंह जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कर्मपुर, सब तहसील टपुकड़ा, तहसील तिजारा, जिला अलवर।

---रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 24.08.2021

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर द्वितीय, अलवर, राजस्थान के अपीलाधीन आदेश दिनॉक 31.03.2008 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया हैं कि अपीलान्ट संख्या एक व दो का पिता रहमत आराजी साबिक खसरा नंबर 5 रकबा एक बीघा एक बिस्वा हाल खसरा नम्बर 6 रकबा एक बीघा एक बिस्वा 0.26 ऐयर वाके ग्राम शेखपुर जट्ट तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान का खातेदार, काश्तकार और काबिज था तथा खुद काश्त करता था, अपीलान्ट संख्या एक व दो के पिता रहमत का स्वर्गवास हो चुका है, जिसकी विरासत अपीलांट संख्या एक व दो को प्राप्त हुई है, अपीलान्ट के पिता रहमत के नाम का अंकन जमाबन्दी सम्वत् 2020 लगायत 2024 में है तथा अपीलान्ट संख्या एक व दो आराजी हाल खसरा नंबर 6 रकबा एक बीघा एक बिस्वा 0.26 ऐयर वाके ग्राम शेखपुर जट्ट तहसील तिजारा, जिला अलवर के खातेदार काश्तकार काबिज है, और मौके पर कश्त कर रहे हैं जिस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिल गौर न्यायालय श्रीमान् हैं। उन्होने आगे कथन किया हैं कि ग्राम शेखपुर

P.T.O.

जट्ट तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थाान भू–प्रबंध सम्वत् 2020 तदनुसार सन् 1972 में सम्पन्न हुआ हैं तथा भू–प्रबन्ध एवं भू–अभिलेख सम्वत् 2029 में साबिक खसरा नम्बर 5 रकबा एक बीघा एक बीस्वा, वाके ग्राम शेखपुर जट्ट, तहसील तिजारा, जिला अलवर राजस्थान का हाल खसरा नम्बर 6 रकबा एक बीघा एक बिस्वा स्थापित (पैमूद) हुआ हैं तथा भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को बिना अधिकार व खिलाफ कानून आराजी हाल खसरा नम्बर 6 रकबा एक बीघा एक बिस्वा वाके ग्राम शेखपुर जटट, तहसील तिजारा, जिला अलवर का मिसल हकीयत जमाबन्दी सम्वत् 2029 के कृषक के कॉलम में अपीलान्ट संख्या एक व दो के नामों का खातेदार, काश्तकार की हैसियत से जमाबन्दी पूर्ववर्ती सम्वत 2020 लगायत 2024 के अंकन के अनुसार अंकन करना कानून जरुरी था, किन्तु ऐसा नहीं किया और गलत अंकन शकूर पुत्र बल्लू कौम मेव साकिन देह खातेदार अंकन कर दिया गया जो खिलाफ मौका हैं और खिलाफ कानून हैं तथा भू–प्रबंध विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण को उपरोक्त अंकन अपीलान्ट के अधिकारों के विरुद्ध शून्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि शकूर पुत्र बल्लू कौम मेव, ग्राम शेखपुर जट्ट में सम्वत् 2029 में नहीं था और आज भी नहीं हैं इसलिए मिसल हकीकत जमाबन्दी बन्दोबस्त सम्वत् 2029 में शकूर पुत्र बल्लू कौम मेव के नाम का अंकन साजिशी व फर्जी हैं और मौका व खिलाफ कानून हैं किन्तु उक्त तथ्यों पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2006 पारित किया है जो काबिल गौर न्यायालय श्रीमान् हैं एवं निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया हैं कि मिसल हकीयत सम्वत् 2029 के गलत व खिलाफ मौका अंकन का नाजायज लाभ प्राप्त करने व अपीलान्ट को नाजायज तौर पर उनके खातेदारी अधिकारों से वंचित करने व नाजायज तौर पर अपीलान्ट को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से शकूरी नामक औरत ने आराजी हाल खसरा नम्बर 6 रकबा एक बीघा एक बिस्वा वाके ग्राम शेखपुर जट्ट तहसील तिजारा, जिला अलवर राजस्थान का गोपनीय तरीके से भूपेन्द्रसिंह वर्तमान में मृतक व ललित कुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कर्मपुर, सब तहसील टपूकड़ा, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान से साजबाज होकर कूटरचना कर एक दस्तावेज बयनामा भूपेन्द्रसिंह व ललित कुमार के पक्ष में लिखाकर दिनाँक 18.09.1997 को उप पंजियक तिजारा द्वारा पंजिकृत करा दिया जो दस्तावेज रजिस्टर्ड बयनामा दिनाँक 18.09.1997 के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 6 रकबा एक बीघा एक बीस्वा वाके ग्राम शेखपुर जट्ट तहसील तिजारा पर कभी भी मु. शकूरी विक्रेता का कब्जा नहीं रहा था, इसलिए क्रेतागण भूपेन्द्रसिंह व ललितकुमार पुत्रान मोहरसिंह का उपरोक्त बयनामा के द्वारा उपरोक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं हुआ। उन्होने आगे कथन किया हैं कि भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारीगण द्वारा मिसल हकीयत सम्वत् 2029 में आराजी खसरा नंबर हाल 6 रकबा एक बीघा एक बिस्वा वाके ग्राम शेखपुर जट्ट के गलत अंकन की जानकारी हम अपीलान्ट को तारीख 16.08.2007

को उस समय हुयी जबकि अपीलान्ट को भूपेन्द्रसिंह व ललितकुमार ने आराजी से जबरन बेदखल करने की धमकी दी और कहा कि आराजी का बयनामा और इंतकाल उनके नाम पर हो चुका है, अपीलान्ट छज्जू तारीख 17.06.2007 को तहसील तिजारा में गया और वहाँ पर इंतकाल नामान्तकरण का पता लगाया तो मालूम हुआ कि इंतकाल नम्बर 248 ग्राम शेखपुर जट्ट दिनाँक 18.07.2007 भूपेन्द्रसिंह व ललितकुमार के नाम पर स्वीकार हुआ है, इसलिए नामान्तकरण संख्या 248 ग्राम शेखपुर की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर नकल तारीख 18.08.2007 को प्राप्त की और दिनाँक 19.08.2007 को अभिभाषक से कानूनी राय ली और दिनाँक 20.08.2007 को उज्रात अपील अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय अलवर, राजस्थान के समक्ष पेश की, जो काबिल गोर अदालत श्रीमान् हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया हैं कि रेस्पोडेन्ट मृतक भूपेन्द्रसिंह व रेस्पोडेंट संख्या तीन ललित कुमार ने उक्त आराजी शकूरी स्त्री बल्लू उर्फ बन्नू जाति मेव निवासी शेखपुर जट्ट से खरीदना बताया व इंतकाल अपने नाम चढ़ना बताया जबकि शकूरी का उक्त भूमि से कोई किसी किस्म को सरोकार नहीं है, ना ही उसका कब्जा काश्त हैं, ना रहा और ना ही उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, गलत तरीके पर फर्जी बयनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट मृतक भूपेन्द्रसिंह व रेस्पोडेंट संख्या तीन ललित कुमार ने रेस्पोडेन्ट संख्या एक से साज बाज होकर मिलीभगत से अपीलान्ट की भूमि को हड़पने की नियत से कानून वो खिलाफ मौका पोशीदा तरीके पर कार्यवाही कर अपने नाम इन्तकाल चढ़ाकर भूमि को हड़पना चाहते हैं एवं खुर्द–बुर्द करने की कोशिश में हैं, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान् हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया हैं कि रेस्पोडेन्ट अपनी कार गुजारी में यदि सफल हो गये तो हम अपीलांट को भारी नुकसान होगा और अपनी खातेदारी की आराजी से महरुम हो जावेगें, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान् हैं। उन्होने यह भी कथन किया हैं कि आलौच्य इन्तकाल संख्या 248 जेर बहस अपील पर यदि गौर किया जावे तो इंतकाल संख्या 248 पर पटवारी हल्का ने 20.01.2007 को इंतकाल भरा, जिस पर कानूनगो ने साफ लिखा कि रिकॉर्ड एवं रजिस्ट्री मिलान नहीं होने की वजह से खारिज करने योग्य है, फिर उस पर पुनः आदेश दिया और दिनाँक 18.07.2007 को नायब तहसीदार तिजारा ने गलत तरीके पर इंतकाल तस्दीक किया गया है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान् है, नायब तहसीलदार ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर आज्ञा पारित की है, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान् हैं। नायब तहसीलदार तिजारा ने नामान्तकरण संख्या 248 दिनाँक 18.07.2007 को पहले तारीख 20.01.2007 को खारिज कर दिया था, फिर तारीख 18.07.2007 को मंजूर कर लिया। उन्होने आगे कथन किया हैं कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार ने इंतकाल दर्ज करते समय यह भी गोर नहीं किया कि आराजी विवादित पर किसका कब्जा हैं, जबकि मौके पर हम अपीलांट काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं, वर्तमान में हम अपीलांट को कब्जा चला आ रहा है, ऐसी

सूरत में भी इंतकाल की कार्यवाही सरासर न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के एकदम विपरीत हैं, जिससे निरस्तनीय है, परन्तु अपीलीय तहत अदालत ने उक्त तथ्यों पर गौर नहीं किया जो काबिल गौर अदालत श्रीमान् हैं। अपीलांट आराजी खसरा नंबर 6 रकबा एक बीघा एक बिस्वा वाके ग्राम भोखपुर जट्ट के खातेदार काश्तकार हैं और काबिज हैं और हितबद्ध हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल के नियमों को कतई अवलोकन नहीं किया अगर इंतकाल के नियमों का अवलोकन किया जाता तो इंतकाल दर्ज करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता मगर असंवैधानिक रूप में रेस्पोडेंट को अनुचित लाभ पहुँचाने की नियत से इंतकाल जेर बहस अपील दर्ज किया गया हैं, जो निरस्तनीय है और काबिल गोर अदालत श्रीमान् हैं। अतः प्रार्थना हैं, कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय अपीलांट तहत अदालत अतिरिक्त कलेक्टर द्वितीय अलवर, राजस्थान, द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाँक 31.03.2008 एवं आज्ञा नायब तहसीलदार तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान दिनाँक 18.07.2007 इंतकाल संख्या 248 ग्राम शेखपुर जट्ट तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान निरस्त फरमाये जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में अपीलान्ट के पूर्वज रहमत के नाम दर्ज रिकार्ड रही है तथा दौराने सेटलमेन्ट सम्वत् 2029 में शकूर पुत्र बन्नू के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई उक्त गलत इन्द्राज की दुरूस्ती हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अर्न्तगत सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर करवाया जाकर अनुतोष पाया जा सकता है तथा वादग्रस्त आराजी का विक्रय खातेदार की बजाय अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने का तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में जॉच कर रिपोर्ट हेतु तहसीलदार तिजारा को निर्देश दिये गये है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2008 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।